



## शिक्षा में PwD को सशक्त बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला

### प्रलम्ब के लिये:

[राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों \(DPSP\) का अनुच्छेद 41](#), [राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020](#), [द्वियांगजन अधिकार अधिनियम, 2016](#), [सुगम्य भारत अभियान](#), [दीनदयाल द्वियांग पुनर्वास योजना](#), [द्वियांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फेलोशिप](#)

### मेन्स के लिये:

भारत में द्वियांग व्यक्तियों के लिये संवैधानिक और वधायी ढाँचा, भारत में द्वियांग व्यक्तियों से जुड़े मुद्दे

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर में [राष्ट्रीय शिक्षा नीति \(NEP\) 2020](#) के संदर्भ में "द्वियांग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संस्थानों और मानव संसाधन विकास की क्षमता निर्माण" पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

- **भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI)** द्वारा आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य द्वियांग व्यक्तियों को सशक्त बनाना और **NEP 2020** के लक्ष्यों को लागू करना है।
- इसके अलावा द्वियांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, 18 मई, 2023 को वैश्विक पहुँच जागरूकता दविस (GAAD) मना रहा है।

## वैश्विक सुगम्यता जागरूकता दविस (GAAD):

- GAAD मई के तीसरे गुरुवार को मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो द्वियांग व्यक्तियों के लिये डिजिटल एक्सेसिबिलिटी/सुगम्यता के साथ जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिये समर्पित है।
- यह सुगम्यता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल तकनीकों को डिज़ाइन करने और विकसित करने के महत्त्व पर जोर देता है, यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई जानकारी तक पहुँच सके, ऑनलाइन गतिविधियों में संलग्न हो सके तथा बिना किसी बाधा के डिजिटल दुनिया में भाग ले सके।

## भारत में द्वियांग व्यक्तियों (PwD) के लिये संवैधानिक और वधायी ढाँचा:

- **भारत का संविधान** सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है तथा द्वियांग व्यक्तियों सहित सभी के लिये एक समावेशी समाज को स्पष्ट रूप से अधिदेशित करता है।
- **राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy- DPSP) के अनुच्छेद 41** में कहा गया है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के अंदर कार्य, शिक्षा और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी तथा **अक्षमता** के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिये प्रभावी प्रावधान करेगा।
- द्वियांगता अधिकारों पर मुख्य कानून **द्वियांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016** है।
  - यह अधिनियम **नरिद्विष्ट द्वियांगों की एक वसित्त शृंखला** को कवर करता है और **बैंचमार्क द्वियांगों एवं उच्च समर्थन की आवश्यकताओं वाले लोगों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करता है।**
  - यह अधिनियम **ज़िला न्यायालय या राज्य सरकार द्वारा नामित किसी प्राधिकरण की संरक्षकता प्रदान करने का भी प्रावधान करता है** जिसके तहत अभिभावक एवं द्वियांग व्यक्तियों के बीच संयुक्त नरिणय लिया जाएगा

## भारत में द्वियांग व्यक्तियों से जुड़े मुद्दे:

- **अभंगम्यता चतऱा:** सार्वजनक क्षेत्रों, परवहन, संरचनाओं और बुनयादी ढाँचे में पहुँच की कमी मुख्य चुनौतियों में से एक है। कई जगहों पर रैंप, लफिट या सुलभ शौचालय नहीं हैं, जससे दवियांग वयक्तियों के लयि स्वतंत्र रूप से घूमना मुश्कल हो जाता है।
- **शकषिा तक पहुँच का अभाव:** दवियांग वयक्तियों के लयि गुणवत्तापूर्ण शकषिा तक पहुँच सीमति है।
  - वशिष शकषिा सुवधिएँ और परशकषिति शकषिकों का अभाव है तथा समावेशी शकषिा प्रथाओं को वयापक रूप से लागू नहीं कया जाता है। शैकषक अवसरों की यह कमी उनके वयक्तगत और वयावसायक वकिस में बाधा डालती है।
- **उचति सुवासथय सेवा का अभाव:** बड़ी संख्या में दवियांगताओं को रोका जा सकता है, जनिमें जन्म के दौरान चकितिसा संबंधी समस्याएँ, मातृ स्थति, कुपोषण, साथ ही इसमें दुर्घटनाओं के कारण चोट लगना शामिल है।
  - हालाँक यहाँ जागरूकता की कमी, देखभाल और अचुी एवं सुलभ चकितिसा सुवधियों की कमी है।
- **सामाजक कलंक और भेदभाव:** भारतीय समाज में नऱिशकृता को लेकर नकारात्मक दृषुकोण और सामाजक कलंक प्रचलति हैं।
  - दवियांग लोगों को अकसर भेदभाव, बहषिकरण और उपेक्षा का सामना करना पड़ता है, जो उनके आत्मसम्मान और सामाजक संबंधों को प्रभावति करता है।

## पीडबल्यूडी (PWD) के सशकृतीकरण के लयि हाल की पहलें:

- **भारत:**
  - सुगम्य भारत अभयान (Accessible India Campaign)
  - दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना (DeenDayal Disabled Rehabilitation Scheme)
  - दवियांग छात्रों के लयि राषटरीय फ़ैलोशिप (National Fellowship for Students with Disabilities)
- वैश्वक सम्मेलन जसका भारत हस्ताकषरकृता है:
  - एशया-प्रशांत क्षेत्र में दवियांग लोगों की पूर्ण भागीदारी और समानता पर घोषणा।
  - बविकाको मलिनयिम फ़रेमवरक
  - दवियांग वयक्तियों के अधिकारों और गरमि के संरक्षण और संवरद्धन पर संयुक्त राषट्र सम्मेलन

**नोट:** भारतीय पुनरवास परषिद, संसद के एक अधनियिम द्वारा एक वैधानक नकिया के रूप में स्थापति, परशकषण कारयक्रमों कोमानकीकृत, वनियमति एवं मॉनटर करने, केंद्रीय पुनरवास रजसिटर (Central Rehabilitation Register- CRR) को बनाए रखने एवं वशिष शकषिा व दवियांगता के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु अधिकृत है।

## आगे की राह

- **समावेशन को बढ़ावा:** सुलभ भवनों, सार्वजनक स्थानों, ट्रांजटि नेटवरक और संचार प्रौद्योगिकी के डजिाइन एवं नरिमाण को प्राथमकता देने की आवश्यकता है। रैंप, लफिट, टैकटाइल वॉकवे, ऑडयो अनाउंसमेंट और बरेल संकेत ऐसी सुवधिएँ इसके उदाहरण हैं।
- **अत्याधुनक समाधानों के साथ क्षमताओं को सशकृत बनाना:** प्रोस्थेटकिस, गतशीलता उपकरणों, श्रवण यंत्रों और संचार उपकरणों जैसी ससृती एवं स्थानीय रूप से सहायक तकनीकों के वकिस तथा इन्हें अपनाने को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इन वयक्तियों हेतु समाधानों को अनुकूलति करने के लयि 3D प्रटिगि व कृत्रमि बुद्धमिा जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ज़ोर दया जाना चाहयि।
- **ज्ान और समानता के अवसर:** समावेशी शकषिा नीतियों हेतु लागू करना जो दवियांग छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शकषिा तक समान पहुँच सुनश्चित करती है। इसमें सहायक उपकरण, शकषिकों हेतु वशिष परशकषण, सुलभ शकषण सामग्री एवं समावेशी पाठयक्रम वकिस शामिल है।
- **जागरूकता और संवेदनशीलता के माध्यम से कलंक/सृटगिमा का समापन:** समावेशता को बढ़ावा देने और दवियांगता संबंधी सामाजक कलंक को कम करने हेतु जागरूकता अभयान चलाने की आवश्यकता है।
  - इसमें दवियांग वयक्तियों के अधिकारों और क्षमताओं के बारे में समुदायों, नयिकताओं, शकषिकों एवं सुवासथय सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाना शामिल है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

**प्रश्न.** भारत लाखों वकिलांग लोगों का घर है। कानून के तहत उन्हें कया लाभ मलिते हैं? (वर्ष 2011)

1. सरकारी वदियालयों में 18 वर्ष की आयु तक नशिल्क शकषिा।
2. वयवसाय स्थापति करने के लयि भूमिका अधमिनय आवंटन।
3. सार्वजनक भवनों में रैंप।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/national-workshop-on-empowering-pwd-in-education>

